

फर्द अहकाम

हरियाणा बनाम कन्टेण्टाल

न्यायालय

क्रमा संख्या 33/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/11/19	<p>प्रमाणित ऑफिसर नोटे/समकाश कार्यवाही हेतु दिनांक 06/12/19 को पेश हो।</p>	
	6/12/19	<p>वकील जनार्दन उर्फ पत्रावली का कवलोकर (समागपा) प्रकरण में मूलवाद नकारा एवं स्वाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। प्रकरण में पूर्व में दिनांक 5/6/18 को अन्तरिम अस्वाई निषेधाज्ञा से उभयपक्षकारण को वाडगस्त भूमि के मौका व रिकार्ड की सहाय्यता बनाये रखने हेतु पाकड समागपा है। न्यायालय अभिसर में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्वाई निषेधाज्ञा को ताकैमला मूलवाद स्वाई कृत्वा उचित समझते है। अतः प्रकरण में न्यायालय आज्ञा डाप शर्त में जखी अन्तरिम अस्वाई निषेधाज्ञा दिनांक 5/6/18 को ताकैमला मूलवाद नकारा (समागपा) है। पत्रावली फैसला शुक्र होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूलवाद के साथ खतम हो।</p>	

(Signature)
 सहोदर
 (फारस)
 चौक (जयपुर)

